858

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक-प-2 (77-78)/जविप्रा/2001/डी-751 दिनांक 28-7-2001

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 78 वीं बैठक दिनांक 22.06.2001 का कार्यवाही विवरण।

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 78 वीं बैठक श्री एन. सी गोयल जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2001 को समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ठ 'क' पर उपलब्ध है।

बैठक में विचार विमर्श पश्चात एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नाकिंत विवरणानुसार निर्णय लिये गये :-

प्रस्ताव संख्या 78.1	कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक की पुष्टि।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.1	कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक दिनांक 20.2.2001 के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया जाकर पुष्टि की गई।
प्रस्ताव संख्या 78.2	कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति की रिपोर्ट।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.2	कार्यकारी समिति की 77वीं बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । बैठक के प्रस्ताव संख्या 77.14 के संबंध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि निदेशक आयोजना वॉछित रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करेंगे और सचिव, जविप्रा वॉछित आदेश जारी करायेंगे ।
प्रस्ताव संख्या 78.3	प्राधिकरण सेवा / प्रतिनियुक्ति सेवा के अधिकारियों / कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.3	प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा प्राधिकरण सेवा/प्रतिनियुक्ति के अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 7(1)एफ.डी.रूल्स/98 दिनांक 26.4.2001 के द्वारा दिनांक 1.7.2000 से 38 प्रतिशत के स्थान पर देय 41 प्रतिशत महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने के प्रति प्रसारित आदेश दिनांक 30.4.2001 की कार्येत्तर पुष्टि की गई।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रस्ताव संख्या 78.4	शिवाजी मार्ग डिग्गी हाउस के पास जयपुर स्थित भू0सं0 16 जिसका कि कुल क्षेत्रफल 2920.20 वर्ग गज है, में से श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास के स्वामित्व (एक भाग)की 937.16 वर्ग गज भूमि का भू उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर क्षेत्र में आवासीय से व्यावसायिक (रिटेल कामर्शियल एण्ड जनरल बिजनेस)किये जाने हेतु ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.4	बैठक में विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि चूंकि अभी भी सम्बन्धित क्षेत्र का स्वरूप संस्थाानिक और आवासीय बना हुआ है और उसमें महत्वपूर्ण बालिका संस्थाऐं (महारानी कॉलेज) हैं तथा यह सडक काफी सँकरी (Narrow)है। यह जाने बिना प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा सकता कि आवेदक इस भूमि को किस विशिष्ट वाणिज्यिक उपयोग में लेना चाहता है और उसकी क्या विकास योजना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को यह लिखा जावे कि पहले वह इस भूमि की प्रस्तावित विकास योजना प्रस्तुत करे तभी उनके आवेदन पर आगे विचार किया जाएगा ।
प्रस्ताव संख्या 78.5	भवानीसिंह मार्ग रोड सहकार भवन के सामने स्थित सी-स्कीम, जयपुर के 1500 वर्ग गज आवासीय क्षेत्रफल का वाणिज्यिक भू उपयोग उपान्तरण। हेतु (मै0 सदगुण डवलपर्स प्रा.लि.जयपुर)
पारित प्रस्ताव संख्या 78.5	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । भवानी सिंह मार्ग रोड, सहकार भवन के सामने स्थित 1500 वर्ग गज आवासीय क्षेत्रफल का वाणिज्यिक भू उपयोग हेतु इस के आस पास का क्षेत्र वाणिज्यिक होने के कारण प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या 78.6	श्री बी.डी.शर्मा जोनल अभियंता की पुत्री अदिती के इलाज पर व्यय की गई राशि 12925/- रूपये के पुर्नभरण बाबत ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.6	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया और प्रस्तावानुसार श्री बी.डी. शर्मा जोनल अभियंता द्वारा अपनी पुत्री अदिती का विशेष परिस्थितियों में जयपुर अस्पताल, लालकोठी में ईलाज कराये जाने एवं निजी दुकानों से क्रय की गई दवाईयों के पुनर्भरण की स्वीकृति नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए दी जाती है ।
प्रस्ताव संख्या 78.7	साईट अभियंताओं के 25 अस्थाई पदों की समयावधि में वृद्धि करने बाबत ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.7	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोन किया गया ।

सचिव, जयपुर ... जयपुर

	वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे नियमन व निर्माण कार्यो की महत्वता को देखते हुए प्रस्तावानुसार साईट अभियंताओं के 25 अस्थाई पदों को 31.3.2002 जारी रखने की समिति द्वारा मंजूरी दी गई ।
प्रस्ताव संख्या 78.8	आशुलिपिक संवर्ग के वर्तमान स्ट्रेन्थ में संशोधन एवं क्रमोनयन के सन्दर्भ में ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.8	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा विचार-विमर्श कर प्रस्ताव का कोई विशेष वित्तीय भार न होने के कारण इसका अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या 78.9	श्री सुभाष चन्द्र सैनी एवं श्री सुरेश दत्त माथुर वरिष्ठ मानचित्रक / कनिष्ठ मानचित्रक को साईट अभियंता के पद पर नियुक्ति के संबधं में ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.9	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । विचार विमर्श पश्चात समिति द्वारा यह उचित समझा गया कि इस प्रकरण का चयन समिति द्वारा विस्तृत परीक्षण किया जावे तथा चयन समिति द्वारा अपनी सिफारिश नियुक्ति अधिकारी को की जावे । तत्पश्चात आवश्यकता हो तो प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।
प्रस्ताव संख्या 78.10	राजस्व ग्राम नाहरगढ तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 95/2, 98/3, 98/4, 99/1 तथा 98/1 में स्थित माणिक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 12ए बोहरा जी काबाग की 6102.69 व.ग. भूमि में से 620.00 व.ग. भूमि आमेर रोड के मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु छोडते हुए शेष 5482.69 व.ग. भूमि का भू उपयोग पार्क, ओपन रिक्रेशनल (आमोद प्रमोद)से आवासीय रूपान्तरण हेतु ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.10	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावानुसार धारा 25(1)जविप्रा अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति दी गई ।
प्रस्ताव संख्या 78.11	मुख्य बागवान एवं मालियों के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताओं को प्राधिकरण के विनियमों में समावेश करने बाबत ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.11	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावानुसार मुख्य गार्डनर एवं माली के पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हताओं को प्राधिकरण विनियमों में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव को प्राधिकरण की बैठक में भिजवाने की समिति द्वारा सिफारिश की गई ।
प्रस्ताव संख्या 78.12	सर्किल अभियन्ता के एक पद को पुर्नजीवित करने का प्रस्ताव ।

पारित प्रस्ताव संख्या 78.12	समिति द्वारा यह व्यक्त किया गया कि निदेशक अभियांत्रिकी इस प्रकरण में निम्नानुसार विस्तृत परीक्षण करें तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए अपनी रिर्पोट बनाकर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें :- 1.क्या वर्तमान में मौजूद अधीक्षण अभियंता का एक पद समाप्त कर दिया जावे और केवल दो अति. मुख्य अभियंता के पद रखे जाएं । 2.क्या अधीक्षण अभियंता का मौजूदा पद रखते हुए एक और पद का सृजन किया जावे और यदि हॉ तो अति. मुख्य अभियंता के भी पद रखें जाएं या समाप्त किये जाएं । 3.दो अति.मुख्य अभियंता पदों के साथ साथ यदि दो पद अधीक्षण अभियंता के सृजित किये जाने प्रस्तावित किये जाते हैं, तो उनका क्या कार्य एवं दायित्व होगा ?
प्रस्ताव संख्या 78.13	भूखण्ड संख्या ए-सी-2 बनीपार्क, कलेक्ट्री सर्किल , जयपुर का क्षेत्रफल 2190.45 वर्ग मीटर हेतु आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग उपान्तरण बाबत । प्रकरण आवेदक श्री उपेन्द्र बोथरा मै0यूनाईटेड इन्वेस्टर्स।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.13	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावित भू उपयोग परिवर्तन का इस शर्त पर अनुमोदन किया गया कि इस भवन को कलेक्ट्रेट सर्किल की ओर कोई प्रवेश / निकास देय नहीं होगा । समिति द्वारा तदानुसार प्रकरण को राज्य सरकार को सहमति हेतु भिजवाने की सिफारिश की गई।
प्रस्ताव संख्या 78.14	सीडलिंग एकेडमी की डिजाईन व मैनेजमेन्ट (महिमा शिक्षा समिति) के स्वामित्व की राजस्व ग्राम खो रेबारियान तहसील सॉगानेर के खसरा नं0 106 से 115 की कुल 4.74 हैक्टर भूमि में से 1173.68 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित 18 मीटर सडक हेतु कम करते हुए शेष 4.62 हैक्टर भूमि का भू उपयोग उपान्तरण इकोलोजिकल जोन से संस्थानिक किये जाने हेतु ।
पारित प्रस्ताव संख्या 78.14	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावानुसार इसे राज्य सरकार को भिजवाने का अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या 78.15	श्री गोपालदास जौहर के स्वामित्व की राजस्व ग्राम झालाना डूंगरी तहसील सॉगानेर के खसरा नं0 103, 102/433, रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा के 1/3 हिस्से के उत्तरी भाग में 5496 वर्ग गज भूमि में से जे.एल.एन. मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु 613.33 वर्ग गज भूमि काटते हुए 2144 वर्ग गज भूमि का भू उपयोग संस्थानिक से खुदरा

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

व्यापार एवं जनरल बिजनैस (पैट्रोल पम्प)तथा 2738.63 वर्ग गज भूमि का भू उपयोग संस्थानिक से आवासीय उपान्तरण किये जाने हेतु ।

पारित प्रस्ताव संख्या 78.15 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. राजस्व ग्राम झालाना डूंगरी तहसील सांगानेर के खसरा न.103,102/433 रकबा 6 बीधा 2 बिस्वा के 1/3 हिस्से के उत्तरी भाग की 5496 व.ग. भूमि में से 613.33 वर्ग गज भूमि जे.एल.एन. मार्ग के मार्गाधिकार हेतु सरण्डर कराने और 2144 वर्ग गज भूमि का भू उपयोग पैट्रोल पम्प किये जाने पर समिति द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

2.शेष भूमि 2738.63व.ग. भूमि का भू-उपयोग आवासीय किये जाने के प्रस्ताव के संबधं में समिति द्वारा राय प्रकट की गई कि इसका भवन मानचित्र समिति-।। द्वारा जे.एल.एन. मार्ग के प्लान के सन्दर्भ में पुनः परीक्षण किया जावे और अपनी रिर्पोट के साथ प्रकरण समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 78.16 Agenda for permitting Drive-in-Cinima as use premises under the head premises under the head Recreational use Zoning 9.8.1.

पारित प्रस्ताव संख्या 78.16 मास्टर डवलपमेंट प्लान 2011 में जोंनिग 9.8.1. क्षेत्र पार्क, खुली रंगशाला, खेल मैदान तथा अन्य आमोद प्रमोद के स्थान हेतु निर्धारित है।समिति द्वारा इसके साथ-साथ "ड्राइव इन सिनेमा" शामिल करने की प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी की बैठक दिनांक 21-04-2001 की सिफारिश को मंजूरी दी।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु

प्रस्ताव संख्या 78.17 Extension of Overdraft limit /Short term loan

पारित प्रस्ताव संख्या 78.17 समिति की 77 वीं बैठक में 10 करोड के ओवर ड्राफट की स्वीकृत लिमिट की अवधि 15.04.2001 तक बढाई गयी थी और 5 करोड रू0 की की अतिरिक्त लिमिट 30.6.2001 तक दी गई थी । प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे विकास कार्यो में कोई वित्तीय बाधा एंव परेशानी ना आवे इसलिए समिति द्वारा 77वीं बैठक में स्वीकृत उक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधा को 31 मार्च 2002 तक जारी रखे जाने की मंजूरी दी गई।

E.C. की 78वीं बैठक दि० 22.1.2001 का निर्णय 863

प्रस्ताव संख्या 78.18 योजनाओं की आरक्षित दरों का निर्धारण/पुर्ननिर्धारण करने बाबत ।

पारित प्रस्ताव संख्या 78.18 समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 29-30 मई 2001 के प्रस्तावानुसार योजनाओं की आवासीय, संस्थानिक और व्यावसायिक आरक्षित दरों का अनुमोदन किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 78.19 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-2 का पद समाप्त करने के संबंध में।

पारित प्रस्ताव संख्या 78.19 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तावानुसार यह उचित समझा गया कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-2 के नाम से दिनांक 16.8.2000 को सृजित पद की उपयोगिता नहीं होने के कारण इसे दिनांक 31.7.2001 से समाप्त कर दिया जावे । परन्तु यदि प्रस्ताव संख्या 78.12 के सन्दर्भ में अधीक्षण अभियंता -2 के पद को समाप्त करना उचित पाया जाएगा तो अति.मुख्य अभियंता-2 के पद को जारी रखा जा सकेगा ।

बैठक धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सचिव .

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

864

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 78वीं बैठक दिनांक 22.6.2001 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण के समिति कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य/अधिकारियों ने भाग लिया :-

क्र.सं0	नाम	पद/विभाग	दूरभाष कार्यालय	दूरभाष निवास	हस्ताक्षर
1.	Atul Sharma	Secy JDA.			[signature]
2.	K.P. Singhal	MD RSRTC	369019	214695	[signature]
3.	R. Dayal.	Div Engg.	565628.		[signature]
4.	K.L. Bairwa	Aen R.T. Dz	207286	556178	[signature]
5.	Narendra Gupta	Comm(HQ) Nagar Nigam	741415	575262	[signature]
6.	S.V. GUPTA	Addl CE P.WD.	222426	70168	[signature]
7.	Laxmi Bairwa	Addl Com Adm	22-6-2001		[signature]
8.	P R Sharma	Dir(F)			[signature]
9.	RANJIT SINGH	CCE	570642	358309	[signature]
10.	Bhoopendra Kr. Sharma	DL/dawell	410018 434722	761666	[signature]
11.	PRAVEEN JAIN	DY. TOWN PLANNER, RIICO	380757 & 303		[signature]
12.	Lavaany Sharma	S.T.P (CP)			[signature]

[signature]
सचिव,
जयपुर विकास [illegible] जयपुर